फोन न0 0612–2219545 (का0)
फैक्स न0–0612–2218900
Email : dampatnaarmssection@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

समाहरणालय, पटना।
(शस्त्र शाखा)

–: आदेश :–

0-01-2014

श्री प्रेमजीत कुमार, पिता–श्री चन्द्र भूषण सिंह, सा0–जीवनचक, पो0–टोपे, फतुहॉ, थाना–शाहजहाँपुर, जिला–पटना द्वारा एक एन0पी0बोर रायफल की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन पत्र वर्ष 2013 में समर्पित किया गया। आवेदक से प्राप्त आवेदन पर विविध शस्त्र वाद सं0–09–245/2013 कायम करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर दिनांक–30.01.2014 को सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई।

निर्धारित तिथि को आवेदक का पक्ष सुना गया एवं अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया गया। सुनवाई के क्रम में आवेदक के द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि वे वर्तमान में सिग्रीयावॉ पंचायत के मुखिया हैं। तदोपरान्त उनके द्वारा अपने जान– माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया, परन्तु पूछने पर सुरक्षा भय के संबंध में कोई ठोस कारण नहीं बताया गया।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक–1108/गो0, दिनांक–30.07.2013 द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को जाँचोपरान्त मात्र अग्रसारित किया गया है, कोई अनुशंसा अंकित नहीं की गयी है। अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, फतुहॉ द्वारा थानाध्यक्ष, शाहजहाँपुर एवं पुलिस निरीक्षक, फतुहॉ अंचल के जाँच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि आवेदक के विरूद्ध (1) शाहजहॉपुर थाना कांड सं0–35/06, दिनांक–11.10.2006 धारा 341/325/379/34 भा0द0वि0 दर्ज है, जिसमें आरोप पत्र सं0–47/06 दि0–30.11.2006 समर्पित किया गया है। (2) शाहजहॉपुर थाना कांड सं0–14/09, दिनांक–04.04.2009 धारा 376/511/379/34 भा0द0वि0 दर्ज है, जिसमें आरोप पत्र सं0–36/09 दि0–23.11.2009 समर्पित किया गया है। वर्तमान में आवेदक सिग्रीयावॉ पंचायत के मुखिया हैं। तदोपरान्त थानाध्यक्ष के अग्रसारण के आलोक में आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को अग्रसारित किया गया है। थानाध्यक्ष, शाहजहाँपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक वर्तमान में सिग्रीयावॉ पंचायत के मुखिया हैं। जन प्रतिनिधि होने के नाते अपनी सुरक्षा हेतु शस्त्र की आवश्यकता है। आवेदक के विरूद्ध शाहजहॉपुर थाना कांड सं0–35/06 एवं 14/09 दर्ज है। तदोपरान्त आवेदक के जान–माल के सुरक्षार्थ शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया, लेकिन आवेदक को विशेष सुरक्षा भय होने के संबंध में कुछ भी प्रतिवेदित नहीं किया गया है। थानाध्यक्ष द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन में आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को अग्रसारित किया गया है, कोई अनुशंसा अंकित नहीं की गई है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13 (2) एवं 13 (2A) में अंकित है कि "आवेदन की प्राप्ति पर, अनुज्ञापन प्राधिकारी उस आवेदन पर निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक ऑफिसर की रिपोर्ट मंगवाएगा और ऐसा ऑफिसर अपनी रिपोर्ट विहित समय के भीतर भेजेगा। अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसी जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जैसा वह आवश्यक समझे, और उप–धारा (2) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अध्याय के अन्य

उपबन्धों के अधीन रहते हुए, लिखित आदेश द्वारा अनुज्ञप्ति या तो अनुदत्त करेगा या अनुदत्त करने से इन्कार करेगा :

परन्तु जहॉ निकटतम पुलिस थाने का भारसाधक ऑफिसर आवेदन पर विहित समय के भीतर अपनी रिपोर्ट नहीं भेजता है, वहॉ यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी ठीक समझे तो वह विहित समय के अवसान के पश्चात्, उस रिपोर्ट की और प्रतीक्षा किए बिना ऐसा आदेश कर सकेगा।"

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक के आवेदन एवं उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों एवं अभिलेख पर संधारित कागजातों के सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आवेदक को सुरक्षा के बिन्दु पर कोई विशेष सुरक्षा भय/खतरा नहीं है तथा उन्हें एक एन0पी0बोर रायफल हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने का कोई यथेष्ट कारण नहीं है। साथ ही आवेदक को शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने से लोक शांति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13, 14 एवं शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त आवेदक श्री प्रेमजीत कुमार, पिता–श्री चन्द्र भूषण सिंह, सा0–जीवनचक, पो0–टोपे, फतुहॉ, थाना– शाहजहाँपुर, जिला–पटना के आवेदित एक एन0पी0बोर रायफल अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र को **अस्वीकृत** किया जाता है।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।